आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–09/2013 रघुनाथ शर्मा वनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
01.08.2017	*आदेश* प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 09/2013 रघुनाथ शर्मा, पे0–भदई शर्मा ग्राम देवठा, थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 982, दिनांक 05.06.2013 रो विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 785, दिनांक 14.05.2013 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि उनके क्षेत्र के सैकड़ों उपभोक्ताओं द्वारा जिलधिकारी, खगड़िया के जनता दरवार में दिनांक 09.05.2013 को उनके विरूद्ध शिकायत किया गया। जिसकी जांच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा स्वयं स्थल पर जाकर दिनांक 09.05.2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में वार्ड सदस्य, मुखिया सहित सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में की गयी। बिक्रेता अनुपस्थित पाये गये। बिना सूचना के दुकान बन्द पाया गया। उपभोक्ताओं से लिखित व्यान लिया गया जिसमें कूपन की मूल प्रति उपलब्ध कराते हुए माह जून 2012 से मई 13 तक के अवधि का खाद्यान्न नहीं देने और किरासन तेल विगत तीन माह से नहीं देने की शिकायत की गयी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) 2001 आदेश का घोर उल्लंघन है इस आरोप के लिए क्यों नहीं उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर लियाँ जाए। उक्त के आलोक में अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को रागर्पित किया गया। जिरागें उल्लेख किया गया कि जनता दरवार में जिन लोगों ने उनके विरूद्ध आवेदन दिया है वे लोग उनके पड़ोसी है। वे लोग उनसे वर्षो से लड़ाई झगड़ा करते आ रहे है विगत दो वर्षो से राशन चार महीना का राज्य खाद्य निगम द्वारा व्ययगत कराया गया है। 2013 में मई माह में जनवरी 13 का गेहू का उठाव हुआ है एवं फरवरी 2013, मार्च 2013, अप्रैल 2013, मई 2013 का खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है एवं किरासन तेल प्रत्येक माह उठाव किया गया है और वितरण भी किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि दिनांक 09.05.2013 को जिलाधिकारी के	

जिला जनता दरबार में ग्राम देवठा के सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया गया कि कई महिनों से खाद्यान और किरासन तेल का वितरण नहीं किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया को जांच करने का निदेश दिया गया। दिनांक 09.05.2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे गॉव जाकर वार्ड सदस्य, मुखिया सहित सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में जांच की गयी। जांच के समय जन वितरण प्रणाली बिक्रेता रघुनाथ शर्मा, पे0–भदई शर्मा, ग्राम देवठा, थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया बिना पूर्व सूचना एवं समक्ष पदाधिकारी की अनुमति के बिना दूकान बन्द कर चले गये। उपभोक्ताओं द्वारा मूल प्रति दिखाते हुए जांच पदाधिकारी को बताया गया कि गत जून 2012 से अद्यतन मई 2013 तक की अवधि में एक बार भी खाद्यान नहीं दिया गया है। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा तीन माह का कूपन दिखाते हुए किरासन तेल नहीं देने का शिकायत किया गया।

तद्आलोक में ज्ञापांक 785 दिनांक 14.05.2013 से उपरोक्त आरोप के संबंध में बिक्रेता से स्पष्टीकरण पूछ गया। बिक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के अनुशंसा के आलोक में बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित शर्त्तो का उल्लंघन के आरोप में रघुनाथ शर्मा, पे0–भदई शर्मा, ग्राम देवठा, थाना–पसराहा, जिला– खगड़िया के अनुज्ञप्ति सं0 57 जी0/07 को रद्द किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि बिक्रेता द्वारा बिहार राज्य निगम में बैंक ड्राफ्ट जमा करने के बाद भी माह फरवरी 2013 से मई 2013 तक खाद्यान आपूर्ति नहीं किया गया। बिक्रेता के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा आदेश ज्ञापांक 982, दिनांक 05.06.2013 से बिक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0 57 जी/07 को रद्द कर पिदो गया जो कानून एवं न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश को रद्द करने तथा आवंटन चालू करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता रघुनाथ शर्मा, पे0–भदई शर्मा, ग्राम देवठा, थाना–पसराहा, जिला– खगड़िया द्वारा जून 2012 से मई 2013 तक की अवधि का खाद्यान एक भी बार

उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया तथा तीन माह से किरासन तेल भी नहीं दिया गया था। इस संबंध में बिक्रेता द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। मात्र माह फरवरी 2013 से मई 2013 का खादयान उठाव नहीं होने का अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है। जबकि उपभोक्ताओं द्वारा माह जून 2012 से मई 2013 तक कुल 12 माह का खाद्यान्न नहीं देने का आरोप लगाया गया। इससे स्पष्ट है कि बिक्रेता द्वारा अनियमितता वरती गयी है। अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता रघुनाथ शर्मा, पे0– भदई शर्मा, ग्राम देवठा, थाना–पसराहा, जिला– खगड़िया के अनुज्ञप्ति संख्या 57 जी/07 रद्द किया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 982, दिनांक 05.06.2013 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता, खगड़िया

समाहर्ता, खगड़िया

डी०वी०न०. 270 / विधि, दि० 29.8.17

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

प्रभारी पदाधिकारी विधि, खगड़िया।
29/8/17